This translated PDS is based on its English version dated 22 January 2013.

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	14 सितम्बर 2012

परियोजना का नाम	ग्रामीण सड़क क्षेत्र ।।। निवेश कार्यक्रम
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	40423-023
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

क्षेत्र तथा/अथवा उपक्षेत्र वर्गीकरण	परिवहन तथा आईसीटी/सड़क परिवहन
विषयगत वर्गीकरण	क्षमता विकास आर्थिक विकास पर्यावरण–सम्पोषणीयता निजी क्षेत्र विकास लिंग समानता जलवायु परिवर्तन
लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग	प्रभावी ढंग से लिंग मुख्यधारा में जोड़ना

वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रूपात्मकता	अनुमोदन संख्या	वित्तपोषण का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
ऋण	2881	साधारण पूंजी संसाधन	252,000
–	–	पूरक	89,000
योग			**यूएस $ 341,000**

संरक्षा संवर्ग

संरक्षा संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories देखें

पर्यावरण	**ख**
अस्वैच्छिक पुनर्वास	**ग**
स्वदेशी लोग	**ग**

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण–पहलू

परियोजना 1 एडीबी के सुरक्षोपाय नीति विवरण (2009) के अनुसार संवर्ग "ख" में वर्गीकृत है। पर्यावरण आंकलन तथा समीक्षा संरचना (ईएआरएफ) की लीक पर, सभी सड़क उप परियोजनाओं की राज्य स्तर पर प्रारंभिक पर्यावरण जांच (आईईई'ज) तैयार की जा चुकी हैं तथा एडीबी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं। ईएआरएफ के प्रावधानों के अनुसरण में, गैर–सड़क उप परियोजनाओं का पर्यावरण आंकलन एमएफएफ के कार्यान्वयन के दौरान संचालित किया जाएगा। आईईई'ज द्वारा परियोजना 1 के भौतिक हस्तक्षेपों से पर्यावरण पर प्रभाव गौण के रूप में आकलित किए गए हैं। सभी प्रभावों हेतु उपशमन उपाय तैयार किए गए हैं तथा बोलीदान दस्तावेजों में मानक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में सड़क विशिष्ट ईएमपी'ज के प्रावधान के समाविष्ट करने द्वारा निर्माण कार्यों में एकीकृत किए जा चुके हैं। संस्थानिक क्षमता और व्यवस्था आंकलन में पुष्टि हो चुकी है कि वे ईएआरएफ, आईईई'ज तथा ईएमपी'ज की अपेक्षाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संतोषप्रद हैं।

अस्वैच्छिक पुनर्वास

ग्रामीण सड़कों का निर्माण अधिकांशतः विद्यमान मार्गाधिकारों के भीतर उनको चौड़ी करने तथा कुछ मामलों में अल्प संरेखण द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए भूमि की संकीर्ण पट्टियों की जरूरत होगी। ऐसे मामलों में, स्वैच्छिक भूमि दान पद्धति का उपयोग किया जाएगा। इस पद्धति का उपयोग पीएमजीएसवाई तथा पूरे भारत में अन्य ग्रामीण विकास की स्कीमों के तहत व्यापक रूप से किया गया है और इसकी प्रभावशीलता सिद्ध हो चुकी है। राज्य विशिष्ट सीपीएफ'स में समुदायों के साथ व्यापक परामर्श की अपेक्षायुक्त विशिष्ट प्रक्रिया अपेक्षाओं का प्रावधान किया गया है, जो एडीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परियोजना 1 तैयार करने में संचालित अनुप्रस्थ भ्रमण से, समुदाय परामर्श और सामाजिक प्रभाव उपशमन प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की पुष्टि हुई है। संस्थानिक क्षमता और व्यवस्था आंकलन में पुष्टि हो चुकी है कि वे सीपीएफ'स की अपेक्षाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संतोषप्रद हैं।

स्वदेशी लोग

सभी निवेश कार्यक्रम राज्यों में, सामाजिक आंकलन में अनुसूचित जनजातियों की मौजूदगी चिन्हित की गई है। तथापि, ये समूह साधारणतः स्थानीय आबादी के साथ मिश्रित हैं। निवेश कार्यक्रम का अनुसूचित जनजातियों पर कोई विभेदीय प्रभाव नहीं होगा : उनको निवेश कार्यक्रम से गैर–अनुसूचित जनजातीय गृहस्थियों के समान लाभ प्राप्त होंगे तथा जनजातीय और सांस्कृतिक पहचान पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी आउटपुट्स सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और प्रतिभागितापूर्ण ढंग से प्रदान किए जाएंगे। जोखिम के आगे और उपशमन हेतु, सीपीएफ'स में समस्त अनुसूचित जनजाति गृहस्थियों के लिए विशेष प्रावधान चिन्हित किए गए हैं ताकि भूमिदान के परिणामस्वरूप अथवा किसी गैर–भूमि सम्पत्ति की क्षति की स्थिति में उनका जीवन स्तर तथा उनकी आजीविका प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं हो।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

tbd

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

tbd

विवरण

अनुरोध किए गए पीएफआर के तहत वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित घटकों में मार्ग संयोजकता और क्षमता निर्माण शामिल है। क. मार्ग संयोजकता घटक। इस घटक में 500 अथवा अधिक व्यक्तियों (पहाड़ी या मरूस्थलीय क्षेत्रों अथवा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में 250 अथवा अधिक) आबादी के सभी निवासियों को समस्त ऋतु अनुकूल मार्ग संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए उन ग्रामीण सड़कों का निर्माण शामिल है जो पीएमजीएसवाई का हिस्सा हैं। प्रथम पीएफआर में कुल 3,461 किमी (असम में 342 किमी, छत्तीसगढ़ में 1008 किमी, मध्य प्रदेश में 1187 किमी, ओडिशा में 757 किमी और पश्चिम बंगाल में 167 किमी) का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। ख. क्षमता निर्माण घटक। इस घटक में शामिल हैं (i) ग्रामीण संयोजकता प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्रों (आरसीटीआरसी'ज) के प्रतिष्ठापन हेतु सहायता; (ii) प्रत्येक प्रतिभागी राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाइयों (आरआरएनएमयू'ज) के प्रतिष्ठापन हेतु सहायता; (iii) एमओआरडी/एनआरआरडीए तथा राज्य सरकारों को अतिरिक्त नीति के कार्यान्वयन में तथा एडीबी सहायित परियोजनाओं में अंतर्निष्ठ प्रशासनिक अपेक्षाओं हेतु सहायता; तथा (iv) प्रचालन, अनुवीक्षण, मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन में अतिरिक्त सहायता। पीएफआर 1 के तहत प्रत्येक राज्य में एक आरसीटीआरसी और एक पायलट आरआरएनएमयू स्थापित की जाएगी। सहायता में प्रयोगशालाओं और समस्त आवश्यक अत्याधुनिक उपस्कर, सिस्टम और टूल्स युक्त आधुनिक क्षेत्र कार्यालयों का निर्माण शामिल है। आरसीटीआरसी हेतु सहायता में प्रतिभागी राज्यों में क्रमबद्ध एवं बृहद स्तर प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए स्टाफ की सहायता हेतु परामर्श सेवाएं और ग्रामीण सड़कों के संबंध में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और अनुभव के अनुसंधान व संकलन में आरसीटीआरसी को सहायता शामिल है। एमओआरडी/एनआरआरडीए तथा राज्य सरकारों को एडीबी सहायित परियोजनाओं में अंतर्निष्ठ प्रशासनिक अपेक्षाओं हेतु सहायता और प्रचालन, अनुवीक्षण, मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन में अतिरिक्त सहायता, भारत सरकार द्वारा अनुबंधित और वित्तपोषित परियोजना कार्यान्वयन परामर्शदाता (पीआईसी) तथा एडीबी द्वारा वित्तपोषित और एनआरआरडीए द्वारा अनुबंधित तकनीकी सहायता परामर्शदाता (टीएससी) के माध्यम से, उपलब्ध कराई जाएगी।

परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के संबंध में सम्पर्क

भारत के लिए एडीबी की कंट्री भागीदारी रणनीति (सीपीएस) भारत की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, 2007–2012 की प्राथमिकताओं के साथ निकट रूप से संबद्ध है। सीपीएस ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु एडीबी की सहायता जारी रखने की पुष्टि करती है, जो ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बाजारों, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच सुगम बनाती हैं। डामर सड़कों का अभाव एक गंभीर समस्या है, जिसके कारण वर्ष में 90 दिन तक उन तक पहुंचना संभव नहीं होता है। घटिया सड़क अवसंरचना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास, कृषि उत्पादकता और रोजगार को प्रभावित करती है तथा गरीबी के साथ इसका मजबूत रिश्ता है। भारत सरकार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में गैर संयोजित ग्राह्य आबादियों को सड़क से जोड़ने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कार्यक्रम (पीएमजीएसवाई) नामक एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण सड़क निवेश कार्यक्रम के कार्यान्वयन के जरिये इस समस्या का संबोधन कर रही है। इस निवेश कार्यक्रम के जरिये पीएमजीएसवाई के तहत सरकार के उद्देश्य पूरे किए जाएंगे। पीएमजीएसवाई के तहत 10 राज्यों में बड़ी ग्रामीण आबादियों वाले निवेश कार्यक्रम राज्य चिन्हित किए गए जहां समस्त ऋतु अनुकूल सड़कों की संयोजकता का अभाव है। इन राज्यों में भारत में सबसे अधिक गरीबी है। सन 2000 में प्रारंभ हुई पीएमजीएसवाई के तहत अब तक निवेश कार्यक्रम राज्यों में 108,637 किमी ग्रामीण सड़को के निर्माण द्वारा 39,721 आबादियों को विशालतर परिवहन नेटवर्क के साथ जोड़ दिया गया है। 32,158 किमी अतिरिक्त सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जून, 2011 कार्यक्रम अद्यतन के अनुसार निवेश कार्यक्रम राज्यों में सभी शेष आबादियों को जोड़ने के लिए पीएमजीएसवाई के तहत अभी 85,690 किमी सड़कों का निर्माण किया जाना शेष है। निवेश कार्यक्रम राज्यों में सन 2016 तक इसका लक्ष्य हासिल करने के लिए पीएमजीएसवाई के तहत लगभग 7.95 बिलियन डॉलर की वित्तीय जरूरत है जबकि इस अवधि के लिए लगभग 5.04 बिलियन डॉलर की राशि उपलब्ध है। इस अंतराल की पूर्ति के लिए घरेलू कर्ज की संभावनाओं की खोज के अलावा सरकार ने निवेश कार्यक्रम राज्यों में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की सहायता हेतु निवेश कार्यक्रम के तहत 0.8 बिलियन डॉलर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है। निवेश कार्यक्रम सीपीएस 2009–2012 में निर्धारित रणनीतिक उद्देश्य के अनुरूप है तथा एडीबी की कंट्री कार्य व्यवसाय योजना, 2011–2013 में शामिल किया गया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त ऋतु अनुकूल सड़क संयोजकता उपलब्ध कराने की आवश्यकता के अलावा निवेश कार्यक्रम राज्यों को ग्रामीण सड़कों के पूर्ण जीवन चक्र को आवृत्त करने वाली व्यवसाय प्रक्रियाओं के सुधार तथा संबंधित क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। विशेष रूप से, जबकि निर्माण के स्थान पर ग्रामीण सड़क नेटवर्क के प्रचालन और अनुरक्षण पर बल दिया जा रहा है, ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन से संबंधित क्षमताएं पिछड़ रही हैं। ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार (कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 80 प्रतिशत) और कौशल आपूर्ति के बीच भी बड़ा अंतर है क्योंकि सिविल अभियंताओं, तकनीशियनों और साइट सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण उच्च–संवर्ग मार्गोन्मुखी होता है।

विकास प्रभाव

पांच आरसीआईपी राज्यों में चुनिंदा ग्रामीण समुदायों की बाजारों, जिला मुख्यालयों तथा आर्थिक गतिविधि के अन्य केन्द्रों के साथ संयोजकता में सुधार तथा स्थायित्व आया है।

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
पीएमजीएसवाई द्वारा 2012 स्वीकृति हेतु प्राथमिकता दिए गए पांच आरसीआईपी राज्यों में चुनिंदा ग्रामीण समुदायों की संयोजकता में सुधार तथा स्थायित्व आया है।	—

आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)
1. पीएमजीएसवाई द्वारा 2012 स्वीकृति हेतु चुनिंदा प्राथमिकता सड़कें समस्त ऋतु अनुकूल बनाई गई हैं। 2. आरसीआईपी सड़कों के डिजाइन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 3. आरसीआईपी सड़कों के अनुरक्षण में सुधार और स्थायित्व आया है। 4. सड़क सुरक्षा के उपाय आरसीआईपी सड़कों के जीवनचक्र में शामिल किए गए हैं। 5. आरसीआईपी राज्यों में पीएमजीएसवाई अभियंताओं, तकनीशियनों, साइट सुपरवाइजरों, पीआरआई के संबंधित स्टाफ, डिजाइन परामर्शदाताओं और संविदाकारों की योग्यता और कौशल में सुधार आया है तथा अनुरक्षण किया जा रहा है। 6. कारगर परियोजना प्रबंधन उपलब्ध कराया गया है।	—

व्यवसाय के अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	2010 नवम्बर 03
परामर्शी सेवाएं	आरसीटीआरसी की सहायता के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय भर्ती के उपयोग द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय तकनीकी सहायता परामर्शदाता (टीएससी) की सेवाओं का वित्तपोषण ऋण 2535–आईएनडी तथा ऋण 2651–आईएनडी की ऋण प्राप्तियों से किया जाएगा। एमओआरडी द्वारा टीएससी की नियुक्ति (एनआरआरडीए के माध्यम से) पहले ही की जा चुकी है। टीएससी एमओआरडी/एनआरआरडीए तथा राज्य सरकारों को उसी संविदा के तहत मई 2014 तक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना जारी रखेगा। नए टीएससी की नियुक्ति निवेश कार्यक्रम के भाग 1 के तहत राष्ट्रीय भर्ती के उपयोग द्वारा की जाएगी। उपरोक्त के अतिरिक्त, घरेलू परामर्शदाताओं की सेवाओं का वित्तपोषण कर्जदार के अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा (पीआईसी) का उपयोग किया जाएगा।
प्रापण और परामर्शी सूचनाएं	http://www.adb.org/projects/40423-023/business-opportunities

समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	–
तथ्य–अन्वेषण	06 दिसम्बर 2011 से 19 दिसम्बर 2011
प्रबंध समीक्षा बैठक	20 मार्च 2012
अनुमोदन	22 अगस्त 2012
अंतिम समीक्षा मिशन	–

मीलपत्थर

अनुमोदन संख्या	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभावोत्पादकता	अनुमोदन समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
ऋण 2881	22 अगस्त 2012	–	–	31 दिसम्बर 2015	–	–

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एशियाई विकास बैंक (यूएस $ हजार)	अन्य (यूएस $ हजार)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा पुरस्कार		0	0	0.00%
21 जनवरी 2013	ऋण 2881			
संचयी संवितरण				
21 जनवरी 2013	ऋण 2881	0	0	0.00%

प्रसंविदाओं की स्थिति

प्रसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की गई हैं –– लेखापरीक्षित परियोजना वित्तीय विवरण, सुरक्षा उपाय, सामाजिक, क्षेत्र, वित्तीय, आर्थिक और अन्य। प्रसंविदाओं अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संवर्गों द्वारा किया जाता है : (i) संतोषजनक –– इस संवर्ग में सभी प्रसंविदाओं का अनुपालन किया जाता है, अधिकतम एक अपवाद के साथ, (ii) आंशिक संतोषजनक –– इस संवर्ग में अधिकतम दो प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, (iii) असंतोषजनक –– इस संवर्ग में तीन या अधिक प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, सार्वजनिक संचार नीति 2011 के अनुसार, परियोजना वित्तीय विवरणों हेतु प्रसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है जिनका वार्तातय हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल 2012 के पश्चात निर्धारित है।

अनुमोदन संख्या	संवर्ग						
	क्षेत्र	सामाजिक	वित्तीय	आर्थिक	अन्य	सुरक्षा उपाय	परियोजना वित्तीय विवरण
ऋण 2881	–	–	–	–	–	–	–

संविदाएं और अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	ओलेग तोंकोंनोजेन्कोव (otonkonojenkov@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	परिवहन तथा संचार प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	ग्रामीण विकास मंत्रालय

सम्पर्क

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/40423-023/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/40423-023/documents